भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**



असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25, 2017/अग्रहायण 4, 1939 सं. 429] No. 429]

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 351

DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25, 2017/AGRAHAYANA 4, 1939 [N.C.T.D. No. 351

> भाग—IV PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 नवम्बर, 2017

सं. 32 /2017- राज्य कर (दर)

सं. फा. 3(45) /वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/749.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतृष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद् द्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 03(15)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक, 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, भाग ${f IV}$, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करते है, यथा :—

(i) सारणी में.-

- (क) क्रम सं. 5 में, कालम (3) में शब्दों "सरकारी प्राधिकारी" के स्थान पर "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) क्रम सं. 9 ख और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9ग	अध्याय 99	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो,	कुछ नहीं	कुछ
		से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य		नहीं";
		क्षेत्र, स्थानीय निकाय ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ		

6908 DG/2017 (1)

राज्यक्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी	
निकाय द्वारा की जाने वाली सेवा की आपूर्ति।	

(ग) क्रम सं. 21 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) "21क	(2) शीर्ष 9965 or शीर्ष 9967	(3) किसी माल परिवहन एजेंसी द्वारा किसी गैर पंजीकृत व्यक्ति, जिसमें गैर पंजीकृत नैमित्तिक कर-योग्य व्यक्ति भी आते हैं, और निम्नलिखित व्यक्तियों से भिन्न हों, के द्वारा प्रदान की गयी सेवाएँ:- (क) फैक्टरी एक्ट, 1948 (1948 का 63) के अंतर्गत पंजीकृत या उसके द्वारा अधिशासित कोई कारख़ाना; या (ख) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (1860 का 12) के अंतर्गत या तत्समय भारत के किसी भाग में प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई	् (4) कुछ नहीं	(5) कुछ ਜहीं";
		सोसाइटी; (ग) किसी कानून के द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई को-आपरेटिव सोसाइटी; या (घ) किसी कानून के द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई बॉडी-कॉर्पोरेट; या (ङ) कोई भी पार्टनरशिप फ़र्म चाहे वह किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो या नहीं, इसमें व्यक्तियों के संघ भी आते हैं; (च) कोई भी नैमित्तिक कर-योग्य व्यक्ति जो केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम या एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम या राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम में पंजीकृत हो।		

(घ) क्रम सं. 23 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"23क	शीर्ष 9967	किसी वार्षिक वृत्ति के भुगतान के एवज में किसी सड़क या किसी पुल तक	कुछ नहीं	कुछ
		पहुँच प्रदान करने वाली सेवा।		नहीं";

(ङ) क्रम सं. 41 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

"औद्योगिक भू-खण्ड या ऐसे भू-खण्ड जो वित्तीय-व्यापार की अव-संरचनाओं के विकास के लिए हों तथा (क) किसी औद्योगिक इकाई या (ख) औद्योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र के किसी डेवलपर को,तथा राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम/प्रतिष्ठान या ऐसे किसी निकाय द्वारा दीर्घ कालीन अवधि (तीन वर्ष या इससे अधिक) के लिए पट्टे पर दिये गए हों जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, का स्वामित्व 50% या इससे अधिक हों, तो ऐसी सेवा के बारे में भुगतान किए जाने वाली अग्रिम (upfront) राशि, (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, विकास खर्च या आँय किसी भी नाम से जाना जाता हो)"

- (i) पैराग्राफ 2 में, उप-वाक्य (यच) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—
- "(यच) "सरकारी प्राधिकरण" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय से है जिसका गठन,—
- (i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या
- (ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।

(यचक) "सरकारी निकाय" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) से है जिसका गठन,—

- (i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या
- (ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90% या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है ।

यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव VI (वित्त)

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक, 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, भाग IV, असाधारण, में प्रकाशित किया गया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 30/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 23 नवम्बर, 2017, सं. फा. 03(43)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/743, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 के तहत संशोधन किया गया था।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 24th November, 2017

No. 32/2017-State Tax (Rate)

F. No. 3 (45) (Reve-I)/2017-18/DS-VI/749.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F. 3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017, namely:—

- (i) in the Table, -
- (a) in serial number 5, in column (3), for the words "governmental authority" the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or Governmental Authority" shall be substituted;
- (b) after serial number 9B and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9C	Chapter 99	Supply of service by a Government Entity to Central Government, State	Nil	Nil";
		Government, Union territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union territory or local authority against consideration received from Central Government, State Government, Union territory or local authority, in the form of grants.		

(c) after serial number 21 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21A	Heading 9965	Services provided by a goods transport agency to an unregistered person,	Nil	Nil";
	or	including an unregistered casual taxable person, other than the following		
	Heading 9967	recipients, namely:—		
		(a) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948 (63 of		
		1948); or		
		(b) any Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of		
		1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or		

(c) any Co-operative Society established by or under any law for the time	
being in force; or	
(d) any body corporate established, by or under any law for the time being in	
force; or	
(e) any partnership firm whether registered or not under any law including	
association of persons;	
(f) any casual taxable person registered under the Central Goods and Services	
Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act or the State Goods and	
Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act.	

(d) after serial number 23 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:—

(1	(2)	(3)	(4)	(5)
"23	A Heading 9967	Service by way of access to a road or a bridge on payment of annuity.	Nil	Nil";

(e) in serial number 41, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely:—

"Upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) payable in respect of service by way of granting of long term lease of thirty years, or more) of industrial plots or plots for development of infrastructure for financial business, provided by the State Government Industrial Development Corporations or Undertakings or by any other entity having 50 per cent. or more ownership of Central Government, State Government, Union territory to the industrial units or the developers in any industrial or financial business area.";

- (ii) in paragraph 2, for clause (zf), the following shall be substituted, namely:—
 - "(zf) "Governmental Authority" means an authority or a board or any other body,
 - (i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
 - (ii) established by any Government,

with 90 per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted to a Municipality under article 243 W of the Constitution or to a Panchayat under article 243 G of the Constitution.

- (zfa) "Government Entity" means an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation,
 - (i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or
 - (ii) established by any Government,

with 90 per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority.".

This notification shall come into force with effect from the 13th day of October, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note: The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, *vide* number No. F. 3(15)/Fin/ (Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 30/2017-State Tax (Rate) dated the 23rd November, 2017 *vide* number No. F. 3(43)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/743, dated the 23rd November, 2017.